Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में नगर पालिका, खाटू के कनिष्ठ अभियंता के लिये 1 लाख रुपये रिश्वत लेते दो दलाल रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **कनिष्ठ अभियंता मौके से फरार, तलाश जारी**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 दिसम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दिनेश चंद मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका खाटू, जिला सीकर के लिये परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते दलाल मगनलाल एवं पूरण (दोनों प्राईवेट व्यक्ति) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया करीब 16 लाख रुपये के बिलों को पास करवाने की एवज में दिनेश चंद मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका खाटू, जिला सीकर द्वारा परिवादी से दलाल मगनलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकांत** के सुपरवीजन में एसीबी सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल मगनलाल पुत्र श्री सूरजाराम निवासी नयाबास, पोस्ट दूधवा, पुलिस थाना जीणमाता हाल खाटूश्याम जिला सीकर एवं पूरण पुत्र श्री रामदेव कुमावत निवासी खाटूश्याम जी जिला सीकर (दोनों प्राईवेट व्यक्ति) को आरोपी दिनेश चंद मीणा कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका खाटू, जिला सीकर के लिये परिवादी से **1 लाख रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश चंद मीणा कनिष्ठ अभियंता एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से दलाल मगन लाल के माध्यम से **50 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। उक्त घटना दलाल मगनलाल के होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई थी। दलाल मगनलाल के होटल के काउंटर की तलाशी में 5 लाख रुपये की संदिग्ध राशि भी बरामद हुई है। आरोपी कनिष्ठ अभियंता दलाल मगनलाल के होटल में ही अस्थाईरूप से निवासरत पाया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।